

कायालय : बरेली विकास प्राधिकरण
विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर, पीलीभीत रोड, बरेली।

पत्रांक सं० 10/74 गा०/का० बी० डी० ए०/2018

दिनांक : 24/03/18

स्वीकृति पत्र
बरेली विकास क्षेत्र की सीमा में भवन निर्माण विकास हेतु

श्रीमती रजनी अनेजा
पत्नी स्व० श्री हरीश अनेजा
निवासी-16ए, गॉडल टाउन, बरेली।
निर्माण स्थल- 123, सिविल लाइंस बरेली।

आपके शमन मानचित्र सं०-155/01/जी०एच०/15 दिनांक 28-09-2015 के संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 15-07-2017 के क्रम में निर्माण करने की अनुज्ञा निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। यदि आपके द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत विधिक कार्यवाही के साथ-साथ यह स्वीकृति भी निरस्त हो जायेगी और निरस्तकरण के कारण जो भी विवाद होगा उसका मध्यम स्तराधिकार आपका होगा।

शर्तें-

1. प्रस्तावित निर्माण स्वीकृत मानचित्र अनुसार एवं प्रयोजनार्थ किया जाना अनिवार्य है।
2. प्रस्तावित भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के वर्तमान नियमों एवं विशिष्टियों के अनुरूप तथा भूकम्परोधी किया जाना अनिवार्य है।
3. महायात्रा में प्रस्तावित भू उपयोग के विरुद्ध यदि नान-कनफारमिंग उपयोग किसी भवन में चल रहा है या वह निर्माण भवन उपविधि/नियम/विनियम के विरुद्ध है तो ऐसी दशा में भी उस भवन में परिवर्तन परिवर्धन तथा मरम्मत कार्य अनुमत्त नहीं होगा।
4. भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य की समाप्ति की सूचना विकास प्राधिकरण को देना अनिवार्य है तथा प्राधिकरण से कार्य समाप्ति प्रमाण-पत्र तथा आवयूपेन्सी प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है।
5. इस अनुज्ञा की वैधता की अवधि पाँच वर्ष है तथा इस अवधि में यदि निर्माण पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को पुनः प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. यदि प्रार्थी द्वारा कोई गलत सूचना दी गयी है तो उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
7. स्वीकृत मानचित्र की प्रति निर्माण स्थल पर सदैव रखना अनिवार्य है जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण के दौरान देख सकें।
8. प्रस्तावित आच्छादन के अतिरिक्त कोई भी निर्माण किये जाने से पूर्व सभी देय शुल्कों के साथ प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
9. प्रस्तुत स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर तथा पारित आदेशों (यदि कोई हों) के अधीन रहेगी एवं पक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवेदक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी यदि वह स्वयं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं करता है तो प्राधिकरण पक्ष के व्यय पर कार्य कराकर राजस्व वकाया की भाँति वसूलने के लिए अधिकृत है।
11. सम्बन्धित आर्किटेक्ट/भवन स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि प्राधिकरण अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्माण का निरीक्षण कराये।
12. निर्माण का उपयोग करने से पूर्व यह अवगत कराना होगा कि स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र में जो भी शर्तें अंकित थीं, उनका अनुपालन कर लिया गया है अवगत कराते हुए सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
13. निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना उसके पूर्ण अथवा किसी अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा।
14. निर्माण के समय स्थल पर आवेदक को मोटे अक्षरों में एक बोर्ड 2X3 फिट पर मानचित्र की छायाप्रति चस्पा कर स्थल के फ्रन्ट पर जो सड़क से दिखे, लगाकर अवश्य रखेंगे।
15. भवन उपविधि-2008 के परिशिष्ट-6, उपविधि सं०-3.1.8 आवासीय भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
16. उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन, बरेली द्वारा जारी अनापत्ति पत्र सं० पत्र सं०-999 नि०/(ब०री०) निरीक्षण/दिनांक 09-01-2012 में अंकित शर्तों का पालन करते हुए स्थल पर विद्युत सम्बन्धी कार्य कराना होगा।
17. मानचित्रों में एरिया चार्ट में दर्शित क्षेत्रफल एवं गणनाओं में अन्तर पाये जाने की दशा में दोनों में न्यूनतम क्षेत्रफल/माप ही स्वीकृत गानी जायेगी।
18. भू-स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद पाये जाने पर समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
19. भवन निर्माण सामग्री को आवेदक द्वारा निर्माण के समय अपने भूखण्ड परिसर के अन्दर ही एकत्र करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
21. भवन में ब्रान्ड बैंड इंटरनेट कनेक्शन हेतु आन्तरिक वायरिंग का प्राविधान करना आवश्यक है, अनुपालन हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के द्वारा जारी शासनादेश सं०-675/आठ- 1-10-115डी०ए/2टी०सी०-1, दिनांक-13-4-2010 के द्वारा लागू अपार्टमेंट एक्ट-2010 में निर्दिष्ट सभी नियमों उपनियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
23. शासनादेशों के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग व वृक्षारोपण की समुचित व्यवस्था आवेदकगण को स्थल पर स्वयं करानी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

24. प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति यदि प्रार्थी द्वारा सारवान व्ययदेशन (मिसरिप्रजेन्टेशन) या किसी कपट पूर्ण वक्तव्य या सूचना के आधार पर प्राप्त की है तो यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस अनुज्ञा के आधार पर किया गया कोई भी कार्य ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया समझा जायेगा अर्थात् अबैध होगा। यदि प्रार्थी द्वारा कोई गलत सूचना दी गयी है तो उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
25. मानचित्र में जो पार्क व खुला स्थान एवं पार्किंग दर्शाया गया है उसका उपयोग मानचित्र में अंकित प्रयोजनार्थ ही किया जायेगा।
26. आवेदकगण/निर्माण कर्ताओं को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मानचित्र पर दर्शित सीमांकन को उनके द्वारा स्थल पर की गयी मॉप व सर्वे के अनुसार ही अंकित किया गया है। कोई भी त्रुटि अथवा परिवर्तन पाये जाने पर हमारा स्वयं का उत्तर दायित्व होगा।
27. भवनों के अध्यासन से पूर्व अग्नि शमन विभाग एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थायी अनापत्ति प्राप्त करते हुए नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। अग्नि शमन विभाग एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थायी अनापत्ति से पूर्व किसी भी दशा में अध्यासन नहीं किया जायेगा।
28. भू स्वामित्व के निर्धारण का अधिकार प्राधिकरण का नहीं है। अर्थात् प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने का अभिप्राय भू स्वामित्व का निर्धारण करना नहीं है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
29. भवन निर्माण के सम्बन्ध में एन0बी0सी0-2005 तथा आई0एस0 तथा बी0आई0एस0 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
30. शासनादेश सं0-2686/आट-1-11-19 विविध/10 दिनांक 29-08-11 के बिन्दु 7 के क्रम में आवेदकगण को निर्माण/विकास लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में जमा करवाना होगा। तथा सम्पूूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
31. जलमल निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति के निर्देशों/शर्तों के अन्तर्गत स्थल पर कार्य करने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा समस्त सर्विसेज अंकित करते हुए सर्विस प्लान भी प्रस्तुत करना होगा।
32. प्रश्नगत स्थल पर जिन भू-धारकों का सहस्वामित्व शामिल है, के द्वारा बँटवारे संबंधी वाद-विवाद के समय प्राधिकरण को क्षतिरहित रखने हेतु इण्डेमिनिटी बाण्ड प्रस्तुत करना होगा।
33. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्राप्त प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार से यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत करके अथवा छल-पूर्वक व्यवहार से प्राप्त की गयी है। निरस्त की जा सकती है।
34. स्थल के सीमांकन सहित भू-स्वामित्व सम्बन्धी प्रत्येक प्रकार का उत्तर दायित्व पक्ष का होगा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
35. स्थल के समीपस्थ पुलिस विभाग के कार्यालयों एवं आयुक्त आवास/कार्यालय की सुरक्षा के संबंध में पुलिस विभाग अथवा आयुक्त बरेली द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होंगे पक्ष को उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
36. प्रस्तावित भवन के चारो ओर 04 मीटर ऊँची चहारदीवारी हो और उसके ऊपर 05 फिट ऊँचे काटेदार तार लगाये जाये ताकि किसी अन्य व्यक्ति के अनाधिकृत प्रवेश पर अंकुश रहे।
37. प्रस्तावित भवन के चारो ओर घने दृक्ष रोपित किये जायें जिनकी ऊँचाई 12 मीटर हो ताकि भवन से सटे हुए अगल-बगल के अन्य प्रतिष्ठानों की स्पष्ट दृश्यता न रहे।
38. प्रस्तावित भवन का निर्माण आवासीय के प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया गया है इसमें स्वीकृत व्यवसायिक गतिविधि/सुविधाजनक दुकानें एवं सामुदायिक सुविधाएँ केवल परिसर के निवासित आवंटियों के लिए ही अनुमत्य रहेगी अतिरिक्त भू-उपयोग किये जाने की दशा में दी गयी स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दी जायेगी।
39. परिसर में पहरा हो। आगुन्तकों का विवरण भी प्रदेश व द्वार के रजिस्टर में अंकित हो, ताकि परिसर में निवास करने वाले व्यक्ति एवं उनके अतिथियों के अतिरिक्त किसी अन्य अनाधिकृत व्यक्ति का स्वच्छन्द प्रवेश न हो सके।
40. परिसर में निर्मित भवन के पलैट के क्रेता/किराएदारों का प्रचलित प्रक्रिया के अनुरूप चरित्र सत्यापन कब्जा दिए जाने से पूर्व कराया जाय, ताकि किसी संदिग्ध व्यक्ति के ऐसे भवन में निवास किये जाने की सम्भावना न रहे।
41. भवन के चारो ओर स्थित 5.00 मीटर चौड़े खुले मार्ग पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जाय। साथ ही दीवारों पर सेंसर संचालित बर्गलर अलार्म स्थापित किये जाये, जिससे यदि अनाधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करे तो अलार्म बजने लगे एवं सुरक्षा कर्मी सजग हो जाये।
42. प्रस्तावित भवन में अग्निशमन व्यवस्थाएँ इस प्रकार से की जाये कि यदि दुर्भाग्यवश अग्निकाण्ड की घटना हो तो इसका प्रभाव परिसर के सटे किसी अन्य प्रतिष्ठान पर न पड़े। इस हेतु मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से पृथक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाये।
43. एयर क्राफ्ट रूल्स के अन्तर्गत भवन के टैरिस पर आवश्यक लाईट आदि की व्यवस्था कराने का उत्तरदायित्व पक्ष का होगा।
44. प्रस्तुत करना होगा जिसमें समस्त सर्विसिज का स्पष्ट रूप से चिन्हांकन किया गया हो।
45. उ0प्र0 अपार्टमेंट (निर्माण स्वामित्व और अनुक्षण का संवर्धन) अधिनियम-2010 की धारा-13 में निहित प्राविधान के अनुसार आवेदक/निर्माणकर्ता/प्रमोटर या अपार्टमेंट स्वामी द्वारा किसी अपार्टमेंट के कब्जे समुचित अन्तरण विलेख निष्पादित किये बिना और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 के उपबन्धों के अधीन उसे पंजीकृत कराये बिना अन्तरित या सुपुर्द नहीं किया जायेगा और आवेदक/निर्माणकर्ता/प्रमोटर या अपार्टमेंट स्वामी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अधिनियम की धारा-12 के अधीन की गयी घोषणा की सत्य प्रतिलिपि ऐसे अन्तरण विलेख के साथ संलग्न करेगा। यदि आवेदक/निर्माणकर्ता/प्रमोटर या अपार्टमेंट स्वामी द्वारा अपार्टमेंट का कब्जा आवंटि को समुचित विलेख का पंजीकरण कराये बिना अन्तरित कर दिया जाता है, तो ऐसा कृत इस अधिनियम की धारा-13 का स्पष्ट उल्लंघन होगा जिसके लिए इस अधिनियम एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निबन्ध/स्टाम्प विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व आवेदक/निर्माणकर्ता/प्रमोटर या अपार्टमेंट स्वामी का होगा।

46. दिये गये शपथ पत्र दिनांक 27-10-14 के अनुसार प्रशमित/स्वीकृत मानचित्र में अंकित द्वितीय तल व तृतीय तल की खिड़कियों को डी0आई0जी0 एव आयुक्त आवास की ओर न लगाकर अन्य दिशा में लगाया जायेगा।
47. दिये गये शपथ पत्र दिनांक 27-10-14 के अनुसार द्वितीय तल एवं तृतीय तलों की बॉलकनी पर सामने की ओर 06 फिट की ऊँचाई तक के Opaque view cutter लगाये जायेगे।
48. अग्नि शमन विभाग व प्रदूषण नियन्त्रण विभाग की संशोधित/स्थायी अनापत्ति की शर्तों के अनुसार किसी अन्य सर्विसिज की स्थापना अथवा परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो उसे पूर्ण करने का समस्त उत्तरदायित्व आवेदकगण का होगा। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिया गया शपथ पत्र दिनांक 13-03-18 का अनुपालन आवेदक को करना होगा।
49. बेसमेन्ट हेतु वेन्टीलेशन के प्राविधान स्थल पर सुनिश्चित करने होंगे। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि एक्सटेन्डेड बेसमेन्ट की छत फायर टेण्डर के मूवमेन्ट हेतु संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है। शपथ पत्र व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।
50. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-323/02/जी0एच0/11 की शर्तों का पूर्ववत् पालन करना होगा।
51. उपरोक्त शर्तों के साथ-साथ विभिन्न शांसनादेशों के क्रम में अन्य शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर दी गयी मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
52. अग्निशमन विभाग एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक का शपथ पत्र दिनांक 13-03-18 का अनुपालन करना होगा।
53. मॉग पत्र संख्या-3520 मा0/का0बी0डी0ए0/2017 दिनांक 15-07-2017 के द्वारा सूचित आगणित धनराशि रुपये-5,46,52,087/- के सापेक्ष जमा धनराशि के उपरान्त अवशेष धनराशि 2,29,12,717/- की दो तिमाही किश्तों के सापेक्ष फ्लैट संख्या- ग्राउण्ड फ्लोर ए-117, 118, 119, 121, 123ए 224 बन्धक रखे जाते हैं, जो अवशेष धनराशि जमा होने के उपरान्त ही अवमुक्त किये जायेगे।
54. स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र पर अंकित शर्तों का आवेदक द्वारा पालन करना अनिवार्य है, यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में वांछित शर्तें :-

1. भवन निर्माण द्वारा सड़क के किनारों पर निर्माण सामग्री या मलवा स्टोर नहीं किया जायेगा/डाला नहीं जायेगा।
2. भवन निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण सामग्री को पूर्णतया तिरपाल आदि से कवर्ड किया जायेगा।
3. भवन निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी किसी गतिविधि जैसे- निर्माण अथवा निर्माण सामग्री के स्टोरेज के कारण किसी प्रकार का वायु प्रदूषण न उत्पन्न हो।
4. उक्त नियम के उल्लंघन की स्थिति में भवन निर्माता को हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार अर्थदण्ड देना होगा।
5. निर्माण सामग्री जैसे-सीमेन्ट, बालू या इसी प्रकार की अन्य सामग्री ढोने वाले ट्रक या इस्तेमाल होने वाले अन्य वाहन को पूर्णतया कवर्ड होना चाहिए।
6. भवन निर्माता द्वारा ऐसे नियम व शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी, जिससे हरित न्यायाधिकरण और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों का पालन हो सके।
7. प्रत्येक भवन निर्माता को निर्माण स्थल को पूर्णतया तिरपाल आदि से कवर्ड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी प्रकार की निर्माण सामग्री किसी सड़क/मार्ग पर न हो।
8. निर्माण सामग्री या इसी प्रकार की अन्य सामग्री ढोने वाले ट्रक या इस्तेमाल होने वाले अन्य वाहन को पूर्णतया कवर्ड और सुरक्षित होना चाहिए।
9. निर्माण स्थलों पर होने वाले धूल उत्सर्जन को पूर्णतया नियन्त्रित करने हेतु पूर्व सावधानियों बरती जाये।
10. निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों की अनलोडिंग के उपरान्त पूर्ण सफाई सुनिश्चित की जाये, तत्पश्चात उन्हें सड़क पर जाने की अनुमति दी जाये।
11. निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों को मास्क प्रदान किए जाये जोकि निर्माण सामग्री को ढोते हैं, जिससे उनके सांस में धूल के कण आदि न जायें।
12. प्रत्येक निर्माणकर्ता अथवा मालिक निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों को चिकित्सीय सहायता, जाँच और इलाज की व्यवस्था करेगा।
13. प्रत्येक भवन निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण सामग्री अथवा मलवा आदि को निर्माण स्थल पर अथवा डम्पिंग साइट या किसी अन्य स्थान पर नियम-शर्तों के अनुसार ले जाना होगा।
14. पत्थर तोड़ने अथवा घिसने के स्थान पर अनिवार्य रूप से पानी छिड़काव कराना होगा।
15. निर्माण स्थल के चारों ओर वायु अवरोधक दीवार बनायी जानी होगी।
16. उपरोक्त निर्माण कार्यों से सम्बंधित आदेशों की अवहेलना की स्थिति में प्रत्येक दोषी भवन निर्माता को रुपये-50,000/- का जुर्माना देना होगा और निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन के दोषी के लिए रुपये-5,000/- का जुर्माना देय होगा।
17. उपरोक्त शर्तें, निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट/मलवा, सामुदायिक स्थलों पर डम्प करने अथवा नदी में प्रवाहित करने पर भी लागू होगा।
18. सामाजिक स्थलों पर निर्माण सामग्री स्टोर करने पर, सामग्री सीज करने के साथ-साथ रुपये-50,000/- का पर्यावरण अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
19. हरित न्यायाधिकरण के अधिनियम 2010 की धारा-15 के अन्तर्गत उपरोक्त किसी भी प्रकार की घटना के लिए सम्बंधित के विरुद्ध रुपये-5,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
20. उपरोक्त घटना के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी सम्बंधित के विरुद्ध इस बाबत नोटिस जारी करेगा, जिसमें न्यायाधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर जुर्माना देना होगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना 25 जनवरी, 2016 नई दिल्ली के अनुपालन हेतु शर्तें :-

निर्माणकर्ता द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना 25 जनवरी, 2016 नई दिल्ली में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 1000 वर्गफिट से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट/पार्क/स्पेशल इकोनॉमिक जोन (ई) के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में फ्लाइ एश एवं फ्लाइ एश आधारित उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

सचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली। 18

प्रतिलिपि:

तददिनांक-

1- जोन प्रभारी जोन.....01.....को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु मानचित्र की प्रति सहित प्रेषित।

सचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।